न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—52 / 2017 (2017 / 00150) वाद पत्र

अनवान

1—बद्रीलाल आत्मज रामा जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायण आत्मज लेहरू जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मोहनी बेवा लेहरू जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—दिनेश आत्मज डालु जाट ना.बा.बे.वि. जरिये माता चुन्नीबाई बेवा डालु जाट नि.सिहंपुरा त.रायपुर
2—कैलाशी पुत्री डालु जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मंजु पुत्री डालु जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—चुन्नीबाई बेवा डालु जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—चम्पालाल पिता हरलाल जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर **नाम डिलिट**
6—मगनीराम पिता हरलाल जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—तिलोक आत्मज हरलाल जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—शोभा आत्मज भैरा जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
10—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वतसिंह चुण्डावत— अधिवक्ता वादीगण
2. मनीष दाधीच — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 07.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 337 रकबा 3.83 है0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 383 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 384 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 386 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 387 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 390 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 606 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 607 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 625 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 626 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 829 / 389 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 830 / 389 रकबा 0.14 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 7.65 है0 भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जा [illegible] की उक्त आराजियात के पास ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी आराजी [illegible] रकबा 0.09 है0 व आराजी चाह संख्या 529 रकबा 0.02 है. गे.मु.आचा [illegible] में प्रतिवादीगण चम्पालाल, मगनीराम, तिलोक आत्मज हरलाल की [illegible] रकबा 0.23 है0, [illegible] संख्या 379 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 382 रकबा 0.36 है0, आ[illegible] संख्या 391 रकबा [illegible]0, आराजी संख्या 532 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 542 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 619 रकबा 1.05 है0, आराजी संख्या 623 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.75 है0 स्थित है। ग्राम सिंहपुरा के आबादी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी अधिकारी की आराजी संख्या 146 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested

0.21 है0, आराजी संख्या 375 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 380 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 392 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 393 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 394 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 395 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 398 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 540 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 620 रकबा 1.14 है0, आराजी संख्या 622 रकबा 0.30 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.25 है0 स्थित है। वादीगण वादवर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर उस पर काबिज है और उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे अन्य को हक अधिकार या कब्जा नही है। प्रतिवादीगण की उक्त आराजियात वादीगण के पश्चिम में दिशा में आती है, जिससे वे सरकारी रास्ता संख्या 373 रकबा 0.38 है0 से आते जाते रहे है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजियात में दखलदांजी करने लग गये उनकी सड़क से लगती हुई आराजी संख्या 387, 386, 385, 384, 383, 377 में जगह जगह से सड़क के किनारे लगे थोहरो की बाड़ को काट देते है खेतो में मवेशी घुसा देते है मना करने पर गाली गलोच करते है। खड़ी फसलो को ट्रेक्टर निकाल कर बरबाद कर देते है। इस प्रकार बार बार नाजायज दखलदांजी करते है। जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान कराई जाना आवश्यक हो गया है। आराजी चाह संख्या 388 रकबा 0.09 है0 कुएं की छुट में भी रोड़ी डाल कर नाजायज कब्जा करना चाहते है जबकि शामलाती भूमि पर किसी पक्ष को रोड़ी डालने, निर्माण करने का काई अधिकार नही है और दुसरे सहखातेदारो को के उपयोग उपभोग में दंखल करने का भी कोई अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण इसमें नाजायज दखलदांजी कर रहे है जिसे रोका जाना व रोड़ी को हटवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात में किसी प्रकार की नाजायज दंखलदाजी नही करे, नये सिरे से रास्ता कायम नही करे तथा आराजी चाह संख्या 388 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करे, न रोड़ीया डाले, सभी खातेदारान के उपयोग उपभोग के लिये सुरक्षित रखे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 फोरमल पक्षकार है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 से 3 वादीगण स्वयं साबित करावे एवं प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 378, 379, 382, 391 व 375, 380, 392, 393, 394, 395, 398 में आने जाने हेतु सदैव से रास्ता मुख्य सड़क गलवा से सिंहपुरा खातेदार वादीगण की आराजी संख्या 387 की पूर्वी पाली से रास्ता पूर्वजो के समय से निर्विवाद रूप से सहमति से हमारी कृषि आराजियात में जाने का विद्यमान है जिससे संज बैल, बैलगाड़ी आदि लेकर आवागमन करते रहे है। वादीगण की आराजियात के पश्चिम में जो जमीन बतायी वो सही है। रोड़ से लगती हुई वादीगण की जमीन है उससे आगे हम प्रतिवादीगण की जमीन है। सरकारी रास्ता रोड़ के पास बताया था [illegible] क्योकि आराजी संख्या 373 सरकारी रास्ते में आसपास का पानी भर जाता है और नाला [illegible] जाता है जिससे आवागमन नही होता है। आराजी संख्या 387 की पूर्वी पाली [illegible] फसल काश्त करने के लिये आवागमन करते है तथा वादीगण की भूमि किसी प्रकार से नुकसान कारित नही करते है। आराजी संख्या 388 रकबा 0.09 है0 कुए की छुट में रोड़ी डालने की बात अपने अपने हिस्सेअनुसार है। वादीगण ने इस कुएं की छुट में पक्का निर्माण कर लिया है व नाजायज रूप से पानी का टेंक बना दिया है तथा पत्थर डालकर अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करना चाह रहे है व हमारे हिस्से के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग से महरूम करना चाह रहे है। संयुक्त भूमि में सबका बराबर हक अधिकार माना गया है इसलिये किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण पाने के अधिकारी नही है।

वादीगण की ओर से वाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 23.09.2021 को बयान कराये गये किन्तु प्रतिवादी को कई अवसर प्रदान कराने के बाद भी जिरह नही करने से जिरह बंद की गई उसके उपरान्त प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश करने हेतु भी कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु प्रतिवादी की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई।

अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस चुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादीगण वादवर्णित भूमि का खातेदार कृषक है प्रतिवादी का इस भूमि से कोई लेना देना नही है। वादीगण की भूमि में प्रतिवादीगण ताकत के बल पर नाजायज दखलदांजी करने पर आमादा है जिससे उसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एव वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि वादीगणो के नाम दर्ज होकर खातेदारी अधिकार की है। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है कि उनके कब्जे काश्त की भूमि में दखलदांजी करे। जहां तक शामलाती भूमि का जो वर्णन किया गया है वो सभी खातेदारो की संयुक्त भूमि जिसका उपयोग सभी खातेदार संयुक्त रूप से कर सकते है कोई भी एक किसी तरह आधिपत्य रखने का अधिकार नही है। वादीगण के द्वारा वाद को साबित कराया है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना विधि सम्मत है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 337 रकबा 3.83 है0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 383 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 384 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 386 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 387 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 390 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 606 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 607 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 625 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 626 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 829/389 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 830/389 रकबा 0.14 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 7.65 है0 भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की नाजायज दंखलदाजी नही करे, नये सिरे से रास्ता कायम नही करे तथा आराजी चाह संख्या 388 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करे, न रोड़ीया डाले, सभी खातेदारान के उपयोग उपभोग के लिये सुरक्षित रखे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested

07.07.2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—52/2017 (2017/00150) वाद पत्र

अनवान

1—बद्रीलाल आत्मज रामा जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायण आत्मज लेहरू जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मोहनी बेवा लेहरू जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—दिनेश आत्मज डालु जाट ना.बा.बे.वि. जरिये माता चुन्नीबाई बेवा डालु जाट नि.सिहंपुरा त.रायपुर
2—कैलाशी पुत्री डालु जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मंजु पुत्री डालु जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—चुन्नीबाई बेवा डालु जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—चम्पालाल पिता हरलाल जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर **नाम डिलिट**
6—मगनीराम पिता हरलाल जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—तिलोक आत्मज हरलाल जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—शोभा आत्मज भैरा जाट निवासी सिहंपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
10—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 337 रकबा 3.83 है0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 383 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 384 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 386 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 387 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 390 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 606 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 607 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 625 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 626 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 829/389 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 830/389 रकबा 0.14 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 7.65 है0 भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की नाजायज [illegible] से रास्ता कायम नही करे तथा आराजी चाह संख्या 388 में किसी प्रकार का [illegible] नही करे, न रोड़ीया डाले, सभी खातेदारान के उपयोग उपभोग के लिये सुरक्षित रखे।

निर्णय आज दिनांक 07.[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested

07/07/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा